राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 1814/2011/जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत–सी,जोधपुर   अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स पायल मार्केटिंग
जोधपुर

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः–
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक   अपीलार्थी की ओर से
—   प्रत्यर्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं

निर्णय दिनांक : 20.07.2015

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–सी, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जावेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स),जोधपुर प्रथम वाणिज्यिक कर,जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जावेगा) के अपील संख्या 58/आरवेट/जेयूसी/09–10 में पारित आदेश दिनांक 07.03.2011 के विरूद्ध पेश की गयी है जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23 के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 2007–08 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 17.032009 में केडिटनोट्स से प्राप्त राशि रू. 1,58,955/– विक्रय मूल्य का भाग मानकर, कर रू. 6358/– व अनुवर्ती ब्याज रू. 1948/– की कायम मांग राशि को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने को विवादित किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि वर्ष 2006–07 में कुल खरीद में से अन्य कारणवश राशि 1,58,955/– कमी कर खरीद राशि कम दर्शाई है जबकि आई.टी.सी.सकल क्रय राशि प्राप्त किया गया है, अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्तानुसार कम वर्णित खरीद राशि को अस्वीकृत करते हुए उसे विक्रय मानकर 12.5 प्रतिशत की दर से कर एवं ब्याज आरोपत किया ,जिससे व्यथित होने पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तत करने,उन्होंने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विकेता व्यवसायी से राशि रू. 1,58,955/–कें केडिट नोट short supply, incentive and inferior quality of goods के फलस्वरूप प्राप्त हुआ मानकर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन,जोधपुर बनाम मरूधर मोटर्स, जोधपुर 23 टेक्स अपडेट पे 249 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन, जोधपुर बनाम मैसर्स एल.एम.जे.सर्विसेज लिमिटैड,जोधपुर 21

टैक्स अपडेट पे 51 पर प्रकाशित निर्णयों के प्रकाश में उक्त राशि को कर योग्य नहीं मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज को अपास्त किया है। उक्त आरोपित कर एवं ब्याज के विरूद्ध राजस्व की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

राजस्व की ओर से बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि विक्रेता द्वारा दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट से प्रत्यर्थी की वास्तविक क्रय राशि कम होने से तथा उसी अनुपात में आउटपुट टैक्स कम किया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा क्रेडिट नोट के अनुपात में करारोपण करने में कोई भूल नहीं की थी। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक स्थिति पर समुचित रूप से विचार किये बिना कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त करने में विधिक भूल की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से बावजूद सूचना के बहस के दौरान कोई उपस्थित नहीं हुआ है इसलिए विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात निर्णय पारित किया जा रहा है।

विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया गया एवं कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी ने आलोच्य अवधि हेतु प्रस्तुत किये गये ट्रेडिंग एकाउण्ट में दर्शायी गयी खरीद, वैट–07 में दर्शायी गयी खरीद से कम दर्शायी गयी है। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी की ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुये वैट आरोपित किया गया है ।

प्रत्यर्थी व्यवहारी को विकेता द्वारा जारी ट्रेड डिस्काउण्ट को प्रत्यर्थी का विक्रय मूल्य का भाग नहीं माना जा सकता । विक्रय मूल्य की परिभाषा वैट अधिनियम की धारा 2(36) अनुसार निम्न प्रकार हैः–

> 2(36) "sale price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation I. – In the case of a sale by hire purchase agreement, the prevailing market price of the goods on the date on which such goods are delivered to the buyer under such agreement, shall be deemed to be the sale price of such goods;

Explanation II. – **Cash or trade discount at the time of sale** as **evident from the invoice shall be excluded from the sale price** but **any ex post facto grant of discounts or incentives or rebates** or **rewards and the like shall not be excluded;**

Explanation III. – Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice;

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स नैवेली लिग्नाईट कॉरपोरेशन बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (124 एस.टी.सी. 586) के प्रकण में सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि:–

"It is that sale consideration, whether in cash or otherwise, which is receiveable in respect of sales made by the dealer which can possibly form part of the turnover of a dealer. It is that sum which can be legitimately regarded as forming part of the aggregate amount for which the goods have been bought or sold. The sum has to be paid either by purchaser or on his behalf by some other person. Any sum received *de hors* the contract of sale from another entity, whether it be the Government or any one else, cannot be regarded as being an amount which would form part of the sale price on which tax is payable."

इस प्रकार प्रत्यर्थी के विक्रेता द्वारा क्रेडिट नोट से प्राप्त राशि प्रत्यर्थी के विक्रय मूल्य का भाग नहीं हो सकती। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित वैट एवं ब्याज को अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

परिणामस्वरूप, राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.03.2011 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य